भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2227

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन

2227. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए पोटाश के स्वदेशी भंडारों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार की विशेषकर रूस से सस्ते आयात के विरुद्ध अमोनियम नाइट्रेट के स्वदेशी विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए राजसहायता अथवा आयात बाधाओं के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार के पास हरित उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु कोई रूपरेखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पोटाश और ग्लूकोनाइट (पोटाश खनिज) को खान मंत्रालय द्वारा "खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन (एमएमडीआर) अधिनियम, 2023" के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता को हासिल करना है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में यह सुनिश्चित किया गया है कि महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सरकारों और निजी क्षेत्र की ओर से निवेश को उत्प्रेरित करके तथा खनिज प्रबंधन की टिकाऊ और जिम्मेदार पद्धतियों के महत्व पर जोर देकर किया जाता है। केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए खनिज ब्लॉकों की नीलामी भी शुरू कर दी है। 24.07.2025 की स्थिति के अनुसार, खान मंत्रालय ने ग्लूकोनाइट (पोटाश खनिज) के 7 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

इसके अतिरिक्त, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), चीनी के उद्योग का एक उपोत्पाद है, जिसमें न्यूनतम 14.5% पोटाश होता है और किसानों द्वारा खेतों में एमओपी (60% पोटाश अवयव के साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश) के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, पीडीएम आयातित

पोटाश पर निर्भरता को कम कर सकता है। पीडीएम को 2009 में उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत अधिसूचित किया गया था और पीडीएम के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, इसे रबी, 2022 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत शामिल किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान, पीडीएम के लिए 345 रुपये प्रति टन सब्सिडी तय की गई है।

(ख): रसायन क्षेत्र मोटे तौर पर नियंत्रणमुक्त और लाइसेंसमुक्त क्षेत्र है। अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन आदि को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 द्वारा विनियमित किया जा रहा है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) इन नियमों के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करता है। अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए लाइसेंस उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी औद्योगिक लाइसेंसों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ग): बजट 2024-25 में, मौजूदा और प्रक्रियाधीन नई क्षमताओं का समर्थन करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग का व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) डंपिंग रोधी और सुरक्षा उपायों जैसे प्रभावी व्यापारिक सुरक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल करते हुए किसी निर्यातक देश से अनुचित व्यापारिक प्रथाओं जैसे डंपिंग, कार्रवाई योग्य सब्सिडी, प्रवंचना इत्यादि के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है। तथापि, वर्तमान में अमोनियम नाइट्रेट पर पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क/सब्सिडी-रोधी शुल्क जैसे आयात अवरोधों के संबंध में सुरक्षा मांगने संबंधी कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(घ): सरकार ने गोबरधन पहल, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी सहायता स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत) स्कीम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि शामिल है, के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात संयंत्रों में उत्पादित खाद को बढ़ावा देने लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता को अनुमोदित किया है, जिसका कुल परिव्यय 1451.84 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) है, जिसमें अनुसंधान संबंधी कमियों के वित्त पोषण आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि शामिल है।

इसके अलावा, कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नए कीटनाशक सूत्र के विकास में सहयोग करने का काम करता है। हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों और स्थायी जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करके कृषि क्षेत्र में इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यूएनआईडीओ फार्म (फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट) परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना तीन प्रकार के जैव-कीटनाशकों बीटीके (बैसिलस थुरिंजिएन्सिस कुर्स्तोकी), नीम और ट्राइकोडर्मा एसपीपी पर केंद्रित है। बीटीके, जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएन्सिस का एक प्रकार है, जो कैटरपिलर कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी है, जबकि नीम कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करता है। ट्राइकोडर्मा मृदा जनित कवक रोगों के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है और पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है।

*****